



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102025-266688
CG-DL-E-06102025-266688

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 47]
No. 47]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 6, 2025/आश्विन 14, 1947
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 6, 2025/ASVINA 14, 1947

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर, 2025

आ. अ. 47(अ).—प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951(1951 का 43) की धारा 12 के अधीन जारी और तारीख 06 अक्टूबर, 2025 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा की है कि 10 फरवरी, 2021 को श्री शमशेर सिंह की पदावधि के अवसान पर उनकी सेवानिवृत्ति के कारण राज्य सभा में हुई रिक्ति को भरने के लिए जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र से उस सदन के लिए एक सदस्य निर्वाचित कर दें;

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा:

(अ) उक्त निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित निर्धारित करता है-

- (क) नाम निर्देशित करने की अन्तिम तारीख- 13 अक्टूबर, 2025 (सोमवार)
- (ख) नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख - 14 अक्टूबर, 2025 (मंगलवार)
- (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख- 16 अक्टूबर, 2025 (गुरुवार)
- (घ) वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा- 24 अक्टूबर, 2025 (शुक्रवार)

(ड.) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा- 28 अक्तूबर, 2025 (मंगलवार), और

(आ) 09:00 बजे पूर्वाह्न से 04:00 बजे अपराह्न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, मतदान होगा।

[फा. सं.- 318/रा.स.-जे&के/2/2025(1)]

आदेश से,

सुमन कुमार दास, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October, 2025

O.N.47(E).—Whereas, the President of India has, by notification issued under Section 12 of the Representation of the People Act, 1951(43 of 1951) and published in the Gazette of India on 06th October, 2025, been pleased to call upon the elected members of the Legislative Assembly of the Union Territory of Jammu & Kashmir, to elect one member to the Council of States to fill the vacancy in that House caused due to the retirement of **Shri Shamsher Singh** on **10th February, 2021** on the expiration of his term of office;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of Section 39 and Section 56 of the said Act, the Election Commission of India hereby-

(A) appoints, with respect to the said election;

- (a) the 13th October, 2025 (Monday), as the last date for making nominations;
- (b) the 14th October, 2025 (Tuesday), as the date for the scrutiny of the nominations;
- (c) the 16th October, 2025 (Thursday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 24th October, 2025 (Friday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) the 28th October, 2025 (Tuesday), as the date before which the election shall be completed; and

(B) fixes the hours from **09:00 am to 04:00 pm**, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

[F. No. 318/CS-J&K/2/2025(1)]

By Order,

SUMAN KUMAR DAS, Secy.